

न्यायालय नायब तहसीलदार, तलावड़ा

मु.नं. ५५ तारीख रजू. १५-१-१९ तारीख निर्णय १३-२-१९

आज पत्रावली व मुकाम तलावड़ा पेश हुई गैर सायल उपस्थित है/नहीं है

रिपोर्ट पटवारी ग्राम काठकुवाडी प्राप्त होने पर यह है कि गैर सायल

श्री काठजी पुत्र श्री रामकिशोर गुर्जर जाति गुर्जर

निवासी काठकुवाडी द्वारा आराजी खसरा नं. १५३ रकवा ००५

किस्म जमीन खियाना मौजा काठकुवाडी पर सम्बत् २०७५

में अतिक्रमण का काश्त कब्जा कर लिया है। गैर सायल को नियमानुसार धारा ९१ भू-राजस्व अधिनियम सन् १९५६ संशोधित दिनांक २/१०/१९७५ के तहत नोटिस जारी बाद तामील शामिल किया गया। अतिक्रमी बाबजूद तामील के भी हाजिर नहीं हैं। उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अतिक्रमी हाजिर है उसने कोई जबाब व सबूत पेश नहीं किया है अतिक्रमी ने उक्त सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा काश्त किया है उसको अतिक्रमी करार दिया जाता है।

अतः गैर सायल श्री काठजी की आराजी खसरा नं. १५३

रकवा ००५ मौजा काठकुवाडी से बेदखल किया जाता है लगान

दर ६३० से उक्त रकवा के लगान ०३२ का ५०

गुना से शास्ति १६ कायम की जाती है। बेदखली हेतु पटवारी को

लिखा जावे तथा आई.एल.आर. को आदेश जारी हो कि उक्त रकवे की खड़ी फसल को जब्त करे नीलामी कार्यवाही करें एवं फर्द नीलामी वास्ते स्वीकृति पेश करें तथा राजस्व लेखाकार व पटवारी को जमा कायमी कराई जावे। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर ही निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

109

16

13-2-19

26
नायब तहसीलदार
तहसील तलावड़ा